(76)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : **मनोज गोयल,**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 4042–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–11–16 पारित द्वारा तहसीलदार, तहसील ग्वालियर प्रकरण कमांक 10/2015–16/अ–12.

श्रीमती गीता पत्नी देवेन्द्र सिंह गुर्जर
निवासी ग्राम दाल बाजार
अरगडे की गली कृषक बरौआ
पिछोर ग्वालियर .....आवेदिका

विरूद्ध

शिवनारायण सिंह कुशवाह
पुत्र रामनाथ सिंह कुशवाह
निवासी एम.पी. नगर, गोले का मन्दिर ग्वालियर .....अनावेदक

श्री सी.एम. गुप्ता, अभिभाषक, आवेदिका
श्री जीतेन्द्र स्वामी, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::
(आज दिनांक 8/2/18 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, तहसील ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–11–16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा ग्राम बरौआ पिछोर स्थित उसके स्वत्व की भूमि सर्वे कमांक 360, 363/2 एवं 363/3 के सीमांकन हेतु तहसीलदार, तहसील ग्वालियर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 10/2015–16/अ–12 दर्ज कर राजस्व निरीक्षक से सीमांकन कराया जाकर दिनांक 26–11–16 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा आवेदिका को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश पारित

किया गया है, जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत कार्यवाही है । यह भी कहा गया कि सीमांकन कार्यवाही एकतरफा की गई है, जिसमें सीमांकन की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है और पंचनामा एवं प्रतिवेदन में फील्डबुक का कोई उल्लेख नहीं होने से उक्त फील्डबुक औचित्यहीन है । इस आधार पर कहा गया कि सीमांकन की कार्यवाही एकपक्षीय होने से तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध, अनुचित होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका द्वारा सीमांकन के सम्बन्ध में आपत्ति प्रस्तुत की गई थी, किन्तु तहसील न्यायालय द्वारा आवेदिका को सुनवाई का अवसर दिये बिना एवं आपत्ति किये बिना आदेश पारित करने में विधि की गम्भीर भूल की गई है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) सीमांकन कार्यवाही में आसपास के कृषकों को विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया है तथा सीमांकन के समय आवेदिका के पति उपस्थित थे, किन्तु उसके द्वारा पंचनामा पर हस्ताक्षर करने से इंकार किया गया है ।

(2) यदि आवेदिका को सीमांकन के सम्बन्ध में कोई आपत्ति थी तो वरिष्ठ अधिकारी अधीक्षक, भू–अभिलेख से सीमांकन कराये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था, किन्तु उसके द्वारा ऐसा नहीं कर, आवेदिका के पति द्वारा शासकीय कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, इस कारण उसके विरूद्ध कार्यवाही हेतु पुलिस में प्रकरण पंजीबद्ध किये जाने की कार्यवाही की गई है ।

(3) आवेदिका द्वारा कोई भी ऐसा तथ्य नहीं दर्शाया गया है कि सीमांकन में क्या त्रुटि है, क्योंकि अनावेदक के स्वामित्व का जितना रकबा है, उसी रकबे पर वह काबिज होकर, सीमांकन कराया गया है, जिसके कुछ हिस्से पर आवेदिका द्वारा जबरदस्ती अपना आधिपत्य जमाये रखना चाहती है, जिसका उसे कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है ।

(4) निगरानी आवेदन में सीमांकन के विरूद्ध तथा सीमांकन प्रावधानों के विरूद्ध कोई आपत्ति नहीं की गई है, इसलिए निगरानी सारहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के अभिलेख से आवेदिका को सीमांकन कार्यवाही की सूचना दिया जाना प्रमाणित नहीं है, जबकि सीमांकन कार्यवाही में हितबद्ध

व्यक्ति को सूचना पत्र की तामीली कराई जाना तथा हितबद्ध व्यक्ति की उपस्थिति में सीमांकन किया जाना आवश्यक है । सीमांकन पंचनामा को देखने से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा किन स्थायी सीमा चिन्हों से सीमांकन किया गया है, इसका कोई उल्लेख सीमांकन पंचनामा में नहीं किया गया है । अतः इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे आवेदिका सहित समस्त पड़ासी कृषकों को विधिवत सूचना पत्र की तामीली कराई जाकर, उनकी उपस्थिति में प्रश्नाधीन भूमि का पुनः सीमांकन करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, तहसील ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–11–16 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर